न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 207/2012

सायला :- बनाम गै0सा0 :-

1. सोहनीदेवी पुत्री गणेश
जाति–बावरी, निवासी–बलून्दा
तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

1. सरपंच, ग्राम पंचायत–बलून्दा
2. पांचाराम पुत्र गणेश
जाति–बावरी, निवासी–बलून्दा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्थनग आदेश बाबत तारीख रजूः 25.10.2012

उपस्थितः– 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 26/06/2015

वकील मय सायला ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी द्वारा म्यूटेशन अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रखी हैं। जिसमें सफल होने की पूर्ण सम्भावना है। अपीलान्ट / प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन सरहद मौजा–आ0कालू में खसरा नम्बर–223 रकबा 105 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर – 222 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा व खसरा नम्बर 2308 रकबा 48 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। केवल रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या–दो का नाम राजस्व रेकर्ड में रोंगएन्ट्री के होने से इसका नाजायज फायदा उठाने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या दो उक्त भूमि का बैचान, बख्शीश, रहन वसीयत आदि कर देगा, तो अपीलान्ट अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगी। इसलिए रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या दो को उक्त भूमि का बैचान, रहन, बख्शीश, वसीयत आदि करने से रोका जाना आवश्यक है।

सायला का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ0कालू में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार–बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायला के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25/10/2012 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–आ0कालू में खसरा नम्बर–223 रकबा 105 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर – 222 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा व खसरा नम्बर 2308 रकबा 48 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा हेतु गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 25/10/2012 वाद के निर्णय तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ0कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner